रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 1996/भाद्र 7, 1918
No. 153] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 1996/BHADRA 7, 1918

उद्योग मंत्रालय
(सरकारी उद्यम विभाग)
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1996

संख्या 11013/3/96-प्रशासन.—इस मंत्रालय के दिनांक 23 अगस्त, 1996 के संकल्प संख्या 11013/3/96—प्रशासन के अनुक्रम में उपर्युक्त संकल्प के पैरा 2 में उल्लिखित ''पूर्णकालिक सचिव'' के स्थान पर ''पूर्णकालिक सदस्य सचिव'' पढ़ा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को तथा सभी केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को भेजी जाए।

एस. तलवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Public Enterprises)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th August, 1996

No.11013/3/96-Admn.—In continuation of this Ministry's Resolution No.11013/3/96-Admn. dated the 23rd August, 1996, the words "full-time Secretary" appearing in para 2 of the above mentioned Resolution may be read as "full-time Member Secretaty".

ORDER

Ordered that the corrigendum be published in the Gazette of India. Ordered also that a copy of the Corrigendum be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India and all Central public sector undertakings.

S. TALWAR, Jt. Secy.

2076GI/96

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996